

प्रेस नोट

नकबजनी का शातिर अपराधी सहयोगियों के साथ गिरफ्तारी जिसके पास से दुकान में की गई चोरी का माल बरामद हुआ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री अरुण कुमार सिंह व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी बांसगाँव, श्री राहुल भाटी के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 30नि0 गोपाल मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-331/2021 धारा 457,380 भादवि व मु0अ0सं0-332/2021 धारा-380 भादवि के अनावरण के क्रम में टीमों गठित की गई थी तथा पतारसी सुरागरसी सर्विलान्स सेल व मुखबीर खास के सहायता से उक्त घटना का अनावरण अन्दर 3 दिवस किया गया मुख्य अभियुक्त महेन्द्र पुत्र सीताराम तथा गोपाल राय पुत्र द्वारा दिनांक 28/9/2021 की रात्रि ग्राम काटा खुर्द मरु में किराने की दुकान से तथा दिनांक 4/10/2021 की रात्रि मालहनपार में किराना की दुकान व गहना ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की गई व चोरी किये गये सामान को सुरक्षित छिपाने हेतु महिलाओं की मदद से सामान को छिपाकर बेचे जाने की तैयारी की जा रही थी तथा दिनांक 28/9/2021 के चोरी के सामान को राह चलते व्यापारी को बेचा जा चुका था आज दिनांक 7/10/2021 को अभियुक्तगण महिलाओं की मदद से आज ब्रम्हदेव बाबा स्थान के पास चोरी के सामान को एकत्रित कर बेचने जाने की तैयारी में थे कि उन्हें करीब 90 प्रतिशत चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु गोपाल राय मौके का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण 1-महेन्द्र पुत्र सीताराम नि. बल्लोचक थाना बासगाँव गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष दो अभियुक्त 2. ज्ञान मती पत्नी भोला केवट नि. बल्लोचक थाना बासगाँव गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष 3. माया बेलदार पत्नी राम सुरेमन नि. घुरहू कोहटा धुसवापार थाना बासगाँव गोरखपुर उम्र करीब 35 वर्ष को आज समक्ष मा0 न्यायालय रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इनके पास से चोरी की गयी टी0वी0 सैमसंग एक ,सी0सी0टी0वी0डी0वी0आर0 फार्चुन तेल 10 किलोग्राम दाल 20 किग्रा, नगद 1300 रुपया ,सफेद धातु की पायल दो अदद ,आर्टीफिसियल हार एक सेट बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पकड़ा गया अभियुक्त एक शातिर चोर है जिसके द्वारा आसपास के जनपदों में भी घटनाएं की गयी हैं। इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से चोरी की घटनाओं में अंकुश लगेगा।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.महेन्द्र पुत्र सीताराम नि. बल्लोचक थाना बासगाँव गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष
2. ज्ञान मती पत्नी भोला केवट नि. बल्लोचक थाना बासगाँव गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष
- 3.माया बेलदार पत्नी राम सुरेमन नि. घुरहू कोहटा धुसवापार थाना बासगाँव गोरखपुर उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिका इतिहास का विवरण –

- 1.मु0अ0सं0 331/2021 धारा 380,457,411,414 भादवि थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर
- 2.मु0अ0सं0 332/2001 धारा 380,411 भादवि थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर
- 3.मु0अ0सं0 09/2010 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- 4.मु0अ0सं0 399/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर
- 5.मु0अ0सं0 212/2010 धारा 3(1) यू0पी0 गैगैस्टर एक्ट थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर
- 6.मु0अ0सं0 79/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 215/2006 धारा 3/5,25/27 आर्म्स एक्ट थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 07/10/2021 समय 08.15 बजे गिरफ्तारी का स्थान- ग्राम ब्रम्ह बाबा का स्थान ग्राम कोहटा थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

टी0वी0 सैमसंग एक ,सी0सी0टी0वी0डी0वी0आर0 फार्चुन तेल 10 किलोग्राम दाल 20 किग्रा, नगद 1300 रुपया ,सफेद धातु की पायल दो अदद ,आर्टीफिसियल हार एक सेट

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ०नि० गोपाल यादव
3. उ०नि० बैजनाथ बिन्द
4. उ०नि० इत्यानन्द पाण्डेय
5. हे०का० विजय शंकर गिरी
4. आरक्षी चन्दन कुमार प्रसाद
6. म०आरक्षी आरती यादव
7. म०आरक्षी खुशबू पटेल